न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 81/2020 तारीख रजू 24.08.2020

1. रामप्रसाद पुत्र बालाराम जाति मीना निवासी गण्डावर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. नरेश 3. रामबलवान 4. सत्यनारायण पुत्रान रामप्रसाद जाति मीना निवासी गण्डावर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर ......अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामरतन पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी गण्डावर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर .....रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलान्ट्स–श्री रमेश चन्द गोयल
वकील रेस्पोडेन्टस–श्री जगन्नाथ चौधरी

निर्णय दिनांकः– 27.01.2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 01/2020 मे पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्व धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत खसरा नम्बर 1110/57 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गण्डावर से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से श्री जगन्नाथ चौधरी एडवोकेट उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि तहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से एक वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी, आरटीएक्ट अपीलान्ट के विरूद्व पेश किया जिस पर अपीलान्ट की तलबी की जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना सुने जाकर 183 बी, का प्रार्थना पत्र स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

करने के आदेश विधि तरीके से पारित कर दिये गये। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। यह है कि रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0टि0एक्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया कि आराजी ख0नं0 1110/57 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गण्डावर में स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट का 1/3 हिस्सा है जिस पर जबरन दिनांक 29.04.2020 को अपीलार्थीगण द्वारा कब्जा कर लिया गया जिसमें नोटिस जारी होना बतलाया लेकिन अपीलाार्थीगण को तामील प्रोपर नहीं हुई व एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कियाहै जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्टस द्वारा बतलाये गये तथ्य गलत बतलाये है तथा मौके की स्थिति से भिन्न होने से निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अपीलार्थीगण ने कभी भी दिनांक 29.04.2020 को कब्जा नहीं किया बल्कि सत्यता यह है कि रेस्पोडेन्ट ने 2002 में उक्त जमीन 80,000/- रूपये लेकर बेचान गवाहान के समक्ष किया है जिसकी लिखा पढी स्टाम्प 20/- रूपये पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगण के पक्ष में की है तथा सन् 2002 से लगातार अपीलार्थीगण को कब्जा देने के बाद निरन्तर काश्ता करता आ रहे हैं तथा उक्त जमीन में एक कमरा अपीलार्थीगण ने बना रखा है तथा तार फेन्सिंग कर रखी है जिसकी जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का गण्डावर से तलब करने के बाद दिनांक 11.06.2020 को गिरदावर व उपस्थित गवाहान से जांच करने के बाद पेश की है जिसमें कब्जा अपीलार्थीगण का 18 वर्ष से माना है गवाहान व जांच रिपोर्ट पर विश्वास ना कर कानून के विपरित साक्ष के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि रेस्पोडेन्ट ने घटना की दिनांक 29.04.2020 गलत साबित होने के बाद भी पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि दिनांक 29.04.2020 को अपीलार्थीगण द्वारा कब्जा ही नहीं किया गया है। अन्त वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में दिये गये तर्को का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सं0 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 1110/57 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम गण्डावर तहसील खण्डार में स्थित है। उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट सं0 1 का 1/6 हिस्सा है लेकिन मौके पर उक्त आराजी का बंटवारा अनुसार रामरतन, जगन्नाथ, गोपीलाल का 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज होकर निरविवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे थे तथा प्रार्थी के हिस्से में आई उक्त भूमि पर प्रार्थी ने बैंक ऑफ बडौदा शाखा बहरावण्डा खुर्द से ऋण ले रखा है। उक्त आराजी से विपक्षीगण का कोई संबंध व वास्ता नहीं है। यह कि दिनांक 29.04.2020 को सुबह करीब 8 बजे रेस्पोडेन्ट सं0 1 अपनी आराजी की संभाल करने गया तो वहां पर अपीलान्टस 1 लगा0 4 हाथों में लाठिया लेकर मिले। अपीलान्टस 1लगा0 4 ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 को ऐलानिया धमकी दी कि आज तो तु इस जमीन पर आ गया अगर दुबारा आया तो तेरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इन हाथ पैर तोड देंगे तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 की जमीन पर जबरदस्ती लट्ठ के जोर से अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया। अपीलान्टस द्वारा रेस्पो0 सं0 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1110/57 पर जबरन कब्जा कर रखा है जिसका प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा तहसीलदार खण्डार के यहाँ प्रस्तुत करने पर तहसीलदार खण्डार द्वारा हमारे पक्ष में दिनांक 29.07.2020 को आदेश पारित कर उक्त विवादित भूमि से अपीलान्ट्स को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। यह है कि विवादित भूमि पर वर्तमान में हमारी फसल काश्त है जिसको अपीलान्ट्स हडपना चाहते हैं। अंत में वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 को विधि एवं नियमों के अनुसार सही पारित करना बताया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने बाबत निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि रेस्पोडेन्ट रामरतन द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी, आर.टी.एक्ट अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1110/57 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 29.04.2020 को सुबह करीब 8 बजे रेस्पोडेन्ट सं0 1 को ऐलानिया धमकी देते हुए कि **"तु कहीं पर जाओ हम इस खेत को लेकर रहेंगे तथा आज तो तु इस जमीन पर आ गया अगर दुबारा आया तो तेरे हम हाथ पैर तोड देंगे"**, रेस्पोडेन्ट सं0 1 की जमीन पर जबरदस्ती लट्ठ के जोर से अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया, जिसको पुलिस इमदाद द्वारा अपीलान्ट्स को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा संभलाने बाबत निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण संख्या 1/2020 दिनांक 04.06.2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर दिनांक 29.07.2020 को रेस्पोडेन्ट रामरतन के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से मौके की जॉच कराई गयी मुताबिक पर्चा मौका दिनांक 11.06.2020 के द्वारा पटवारी हल्का ने अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट मे यह अंकित किया कि आराजी ख0नं0 1110/57 रकबा 5.17 बीघा में रामरतन, गोपीलाल, जगन्नाथ पिसरान रघुनाथ जाति मीना नि0 गण्डावर हिस्सा 1/2 के खातेदार है जबकि मौके पर उक्त खसरा पर मौतविरान पूछने पर बताया कि ख0नं0 1110/57 पर मौखिक बंटवारे अनुसार उक्त ख0नं0 पर गोपीलाल, जगन्नाथ व रामरतन के हिस्से में आया है। इस प्रकार रामरतन पुत्र रघुनाथ का हिस्सा 1/3 को स्वयं आवेदक ने रामप्रसाद पुत्र बाला जाति मीना को लगभग 15-16 वर्ष पूर्व बेचान करना बताया गया है जबसे ही उक्त हिस्से पर रामप्रसाद पुत्र बाला जाति मीना निवासी गण्डावर ही काबिज चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.07.2020 में भी यह माना है कि **"प्रकरण में परीक्षण किये जाने पर परिवादी द्वारा बताया गया हाल ही किया गया अतिक्रमण प्रमाणित पाया गया।"** साथ ही पत्रावली का अवलोकन करने पर यह भी पाया जाता है कि अपीलार्थी सं0 1 द्वारा न्यायालय सिविल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय एवं सिविल मजिस्ट्रेट, खण्डार में दावा अधीन आदेश 7 नियम 1 सी0पी0सी0 का एक वाद पत्र पेश किया हुआ है जिसकी वर्तमान स्थिति भी न्यायालय हाजा में अपेक्षित है। इसमें अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2020 को नोटिस जारी किया गया जिसकी पुस्त पर तामील कुलन्दा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी सं0 1 की औरत द्वारा तामील प्राप्त करना अंकित किया है साथ ही अपीलार्थी सं0 1 के भी हस्ताक्षर अंकित है लेकिन प्राप्त कर्ता औरत सीमा मीना पत्नी रामबलवान अंकित है। ऐसी स्थिति में तामीली विधिवत होने पर भी संदेह पैदा होता है। जिससे प्रस्तुत अपील के बिन्दु संख्या 2 अनुसार अपीलार्थीगण को तामील प्रोपर नहीं होना सही प्रतीत होता है। अदालत मातहत द्वारा बिना पूर्ण निष्कर्ष पर पहूँचे बिना ही एक पक्ष को लाभ पहूँचाने की गरज से उक्त निर्णय कानून-कानन में पारित किया है जो न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खण्डार को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पुनः उभय पक्षो को सुना जाकर तथा साक्ष्य सबूत युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested